केवल ई-मेल द्वारा प्रेषित

संख्या–35(भा0स0)स0सु0/17–55स0सु0/16

प्रेषक,

पी0 गुरू प्रसाद,
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. अपर परिवहन आयुक्त(पूर्वी/मध्य/पश्चिम), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संभागीय निरीक्षक(प्राविधिक), उत्तर प्रदेश।

प्राविधिक अनुभाग लखनऊः दिनांकः 21 दिसम्बर, 2017

विषयः दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–22(भा0स0)स0सु0/2016–55स0सु0/2013–16 दिनांक 02.11.2016 एवं पत्र संख्या–07(मु0मं0)प्रावि0/16–135प्रावि0/16 दिनांक 06.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र दिनांक 02.11.2016 में भारत सरकार के पत्र जिसमें अकर्ण/बहरे व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस दिये जाने के संबंध में जारी पत्र संख्या–आर.टी.11021/40/2014–एम.वी.एल. दिनांक 28.10.2016 के दृष्टिगत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–8 उपधारा (4) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय मा0 उच्च न्यायालय, मुंबई में दायर की गयी पी.आई.एल. संख्या–191/2013 के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही करने की किये जाने की अपेक्षा की गयी हैः–

"Driving in primarily a visual function with little inputs from hearing. Many developed countries give hearing impaired people the privilege of being able to drive. If a person is rehabilitated with hearing amplification (hearing aid or cochlear implant) and can hear reasonably with the same then there seems little reason to deprive him or her of a drlving license, For patients not fully rehabilitated some countrles do grant the privilege to drive. This is important with regard to opportunities we wish to grant to the disabled, It is well recognized that the loss of hearing does not pre-se impact the ability to drive. As an added precaution, should be asked to display on the car a sign indicating the driver is hearing impaired. All such applicants should take a stringent driving test under the actual road condition circumstances as is the case for normal individuals."

2– उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.01.2017 द्वारा अशक्त वाहन (Invalid carriage), जो किसी शारीरिक खराबी या निशक्तता से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए परिकल्पित या निर्मित है और जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, से संबंधित दो पहिया/चार पहिया वाहनों को भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या–आर.टी.11012/12/2001–एम.वी.एल. दिनांक 29.05.2009 एवं पत्र संख्या–आर.टी.11017/07/2011–एम.वी.एल. दिनांक 05.05.2011 तथा संकल्प दिनांक 30.07.2008 में निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार अशक्त व्यक्तियों की गाड़ियों में बाद में परिवर्तन किया जा सकता है।

3– आप अवगत ही हैं कि अशक्त वाहन (Invalid carriage) की परिभाषा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–2 के (18) में दी गयी है और मोटरयान अधिनियम एवं इसके अध्यधीन बनायी गयी नियमावलियों में किये गये प्राविधानों के अनुसार दिव्यांगजनों को लाइसेंस अशक्त वाहन (Invalid carriage) में दिये जाने का लाइसेंसिंग प्राधिकारी का निर्णय लेने का नियम है, परन्तु भारत सरकार के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 28.10.2016 द्वारा Hearing impaired persons को लाइसेंस देने के संबंध में विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए तदनुसार अपेक्षा की गयी है।

4– उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एक नेत्र वाले व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जाने के संबंध में अपने पत्र संख्या–आर.टी.11016/03/2017–एम.वी.एल. दिनांक 21.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित किया है, पत्र में भारत सरकार ने AIIMS के संबंधित डॉक्टर द्वारा